राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनु (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
79/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	16.02.2017	29.01.2021

उनवान सरकार बनाम दीपक पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त मे इस प्रकार है। पटवारी हल्का बुहाना ने सम्वत 2073 मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुहाना की राजकीय भूमि खसरा नं0 2616/2321 कुल रकबा 108.8934 है0 किस्म गै0मु0 बणी मे से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमी दीपक पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी बुहाना ने अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि मे आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.20/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.13 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ह0
(तहसीलदार)
बुहाना (झुन्झुनु) राज0

रा.जे. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 75
पर 7/- की मांग कायम की गई।
Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

Scanned with CamScanner